

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरालाल पिता स्वर्गीय सोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुन्दरबाई पत्नी स्वर्गीय सोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मीलाल पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राधेश्याम पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. जगदीप मुतबन्ना ऊंकार, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री
 उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 284/2001 दिनांक 10.10.2011

---/---

- उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्तगण
 2. श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रेस्पोंड सं० 4
 3. श्री कमलेश चौहान राजकीय रेस्पोंडेन्ट सं. 5

---:---

निर्णय

दिनांक 17-01-2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण के पिता/पति श्री सोहनलाल एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिरवा में खाता संख्या 70 की आराजी नंबर 2101, 2102, 2103, 2105 कुल कित्ता 4 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का 1/4 हिस्सा है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु अभी



कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा बंटवारे के लिए कहने पर प्रतिवादीगण धमकी देते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकर किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्डर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की गयी। तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25-05-2010 को राजीनामे अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 10-10-2011 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्तगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोंडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अपीलान्त की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपील द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 02-07-2020 को तब हुई जब विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन से कब्जा हटाने हेतु धमकी दी गयी। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में अपीलान्त हीरालाल का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्री राजीनामे अनुसार जारी की गयी तथा बंटवारा रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्त द्वारा 8 वर्षों से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जो बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज

की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 697 एवं डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 773 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 10-10-2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13-08-2020 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस अर्थात् दिनांक 09-12-2011 तक यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी, किन्तु अपील दिनांक 13-08-2020 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 8 वर्ष 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही पर्याप्त कारण है। ऐसी स्थिति में वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 697 एवं डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 773 की रोशनी में उक्त अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 द्वारा धारा 96 (3) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वक्त बहस निवेदन किया कि सी.पी.सी. की धारा 96 (3) के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के मध्य राजीनामे के आधार पारित डिक्री के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाधीन अंतिम डिक्री दोनों पक्षों की सहमति से राजीनामे के आधार पर जारी की गयी है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 485 प्रस्तुत की।

रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अंतिम डिक्री राजीनामे अनुसार जारी नहीं की गयी है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 को डिक्री में अधिक भूमि दे दी गयी है। अपीलान्ट की अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 (3) सी.पी.सी. से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। राजीनामे एवं मौका पर्चा पर अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने जो राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी की है, उसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 485 की रोशनी में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि मौका कमिश्नर

तहसीलदार को नियुक्त किया गया था, जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गये एवं पर्चा मौका पटवारी हल्का द्वारा रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 4 की मिली भगत से तैयार किया गया है, जिसमें रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 4 को अधिक भूमि दे दी गयी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मात्र पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014(1) पेज 258 एवं आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1050 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। हालांकि पर्चा मौका तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, किन्तु पर्चा मौका पर अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के भी हस्ताक्षर हैं तथा उक्त पर्चा मौका में स्पष्ट अंकन है कि “राजीनामें अनुसार बंटवारा कर उपस्थित मौतबीरान, वादीगण तथा प्रतिवादी के हस्ताक्षर कराये।” इसके अलावा राजीनामे पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरों/अंगूठा निशानी होकर उनके साथ-साथ अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के भी हस्ताक्षर हैं, जिसकी तस्दीक उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त राजीनामें को कूटरचित एवं धोखे से किये जाने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है हम उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10-10-2021 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17-01-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास अनीता मीना, आर.ए.एस.

हीरालाल पिता स्वर्गीय सोहनलाल, बनाम मोहनलाल पिता रामलाल ब्राहमण,
जाति ब्राहमण, नि. चिरवा, तहसील निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव,
बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....56 / 2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....उपखण्ड अधिकारी
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुखर्चे.....10.....माह.....10.....2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....17...माह.....01.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री लक्ष्मीलाल जैन.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री मन्नाराम डांगी

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि..... अपील अपीलान्त
बेरून मयाद होने, पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की
जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10-10-2021
यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....17.....माह.....01.....2023
को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।